कार्यवृत्त

गुरूवार, 17 माघ, शक संवत्, 1935
(दिनांक 06 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने मा0 सदस्य श्री ठुकराल की विरूद्ध झूठे मुकदमें में फंसाये जाने को लेकर विषय को उठाया जिस पर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहते हुए विपक्ष के कुछ सदस्य 'वेल' में आकर नारे बाजी करने लगे। श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी 'वेल' में खड़े सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। इस पर घोर व्यवधान होने लगा जिस पर **श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 06 मिनट पर 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की।**

11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष जी ने सदन का समय 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

11बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर प्राप्त 04 सूचनाए स्वीकृत हुई जिनमें से श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा सूचना पढ़ी गयी तथा शेष सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्रीमती विजय बड़थ्वाल	''विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में स्वीकृत बसटोला-धमान्दा मोटर मार्ग का अभी तक निर्माण न होने के संबंध में।"
2. श्री चन्दन राम दास	"विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इण्टर कॉलेज क्वैराली को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों सहित सवित्त मान्यता न दिये जाने के संबंध में।"
3. कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'	"प्रदेश में विगत 16 जून, 2013 को आई भीषण दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त जनपद हरिद्वार अन्तर्गत भोगपुर-बालावाली तटबन्ध का सुदृढ़ीकरण कार्य अभी तक न होने के संबंध में।"
4. श्री विशन सिंह चुफाल	"जनपद पिथौरागढ़ में प्रा0 वि0 सिंगाली के जर्जर भवन का निर्माण करने के संबंध में।"

माननीय सदस्य मदन कौशिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 174 तथा उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 का उल्लेख करते हुए कहा कि सभा के वर्ष में तीन सत्र होंगे, जिनकी अवधि एक वर्ष में 60 दिन से कम न हो, जबकि इसका पालन नहीं हो रहा है। इस पर श्री अध्यक्ष ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम ढाकोवाली रोड़ से ग्राम सुद्धोवाला को जाने वाले रास्ते पर देड़ नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में'' श्री कशमीर सिंह, निवासी ग्राम-सुद्धोवाला, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम पोड़वाला, राजावाला, भगवानपुर, भारतपुर, भाऊवाला अटकफार्म तेलपुरा के कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के सम्बन्ध में'' श्री यशपाल सिंह नेगी, निवासी-ग्राम पोड़वाला, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा कण्डौली के ग्राम पालावाली व लोअर कण्डौली में आवागमन हेतु गुलाटा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में'' श्री सुनील सिंह रमोला, निवासी-ग्राम पालावाली लोअर कण्डोली, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा शंकरपुर की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप की स्वीकृति के सम्बन्ध में'' श्री रबीन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम सभा शंकरपुर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त् कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0-2 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वहीद निवासी, ग्राम-नवावगढ़ ग्रामसभा नवावगढ, पो0 व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के बाडी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ से सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री अजब सिंह, निवासी, ग्राम-प्रतीतपुर, ग्राम सभा-प्रतीतपुर, पो0-धर्मावाला, तहसील विकासनगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0-4 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वहीद, निवासी-ग्राम नवाबगढ़, ग्रामसभा-नवाबगढ, पो0 व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0-1 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वहीद, निवासी-ग्राम नवावगढ, ग्रामसभा-नवावगढ़, पो0 व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त् कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0-3 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वहीद, निवासी-ग्राम नवावगढ़, ग्रामसभा-नवावगढ़, पो0 व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के स्वानी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ की सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री नरेश कुमार सैनी निवासी ग्राम प्रतीतपुर पो0 धर्मावाला ग्राम सभा प्रतीतपुर तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 05 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 06 फरवरी, 2014 से दिनांक 21 फरवरी, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रुप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

<u>फरवरी, 2014</u>

06	गुरूवार	वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 04.00 बजे)
07	शुक्रवार	(1) बजट पर सामान्य चर्चा। (2) असरकारी कार्य।

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

   ''यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।''

2. श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

   ''यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।''

3. श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

   ''वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।''

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा। (15 मिनट)

   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।''

5. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

   ''विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।''

6. श्री मदन कौशिक द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा। (15 मिनट)

   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकायों (नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं/नगर निगमों) में कार्य पद्वति को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों/सभासदों/पार्षदों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यशाला आयोजित की जाय।''

08 शनिवार अवकाश।

09 रविवार अवकाश।

10 सोमवार (1) बजट पर सामान्य चर्चा।

(2) विधायी कार्यः-

1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

11	मंगलवार	बजट पर सामान्य चर्चा।
12	बुधवार	बजट पर सामान्य चर्चा।
13	गुरूवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
14	शुक्रवार	रविदास जयंती (अवकाश)
15	शनिवार	अवकाश।
16	रविवार	अवकाश।
17	सोमवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
18	मंगलवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
19	बुधवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
20	गुरूवार	विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, चर्चा एवं मतदान।
21	शुक्रवार	असरकारी दिवस।

1. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम- 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

   "उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

   "दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

   उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नही है विशेषकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

   राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

   हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

   इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

   यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नही किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन U.A. state Branch ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।''

3. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।''

4. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा । (15 मिनट)

''जनपद देहरादून के पछ्वादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।''

5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा। (15 मिनट)

''इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आज नियम-58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें से पहली सूचना जनपद पिथौरागढ़ में 26 जून, 2013 को गोरी नदी, व काली नदी, धौली नदी के तेज बहाव से खेती भूमि को हुई क्षति का मुआवजा विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री विशन सिंह चुफाल ने अपने विचार व्यक्त किये। नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

दूसरी सूचना विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन अन्तर्गत पैनोल, बूंगा, खदरासी एवं डाबरू ग्रामों में वन्यजीवों द्वारा व्यक्तियों व पशुओं के मारे जाने व घायल होने विषयक सूचनी की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री दलीप सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

तीसरी सूचना विधान सभा क्षेत्र पुरौला के अन्तर्गत लुणागाड़ में जहरीली घास खाने के कारण 150 पशुओं के मरने पर मुआवजा दिये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य, श्री मालचन्द ने अपने विचार व्यक्त किये। पशुपालन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 57 मिनट पर 4:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 4:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2014-15 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 गैंड खाल के निर्माणाधीन भवन का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

प्रदेश मे ए0डी0बी0 द्वारा 2 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभिन्न सड़को का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किए जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में ग्राम रीठा से ग्राम टाँण तक सड़क निर्माण हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित जनता को न दिय जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूरन सिंह फर्त्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया।

विधान सभा क्षेत्र-भीमताल के विकास खण्ड धारी के ग्राम धानाचूली में विगत कई वर्षों से लिफ्ट पेयजल योजना की मांग के उपरान्त भी पेयजल योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न होने से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में श्री दान सिंह भण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।